



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271207  
CG-DL-E-23032026-271207

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1446]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2026/चैत्र 2, 1948

No. 1446]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2026/CHAITRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

का.आ. 1511(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.633 (आ) तारीख 06/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड -3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में NH-751 के कि.मी. 0.00 से कि.मी.109.019 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने /चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख"19/02/2026" को"दिव्य भास्कर" एवम"टाइम्स ऑफ़ इन्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा 3ग के तहत कोई भी व्यक्ति से कुछ भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में NH-751 के कि.मी. 0.00 से कि.मी.109.019 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमिविवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अहमदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धोलका					
गांव का नाम: वेजलका					
1	161 (Old S. No. 121)	निजी	कृषि	0.1263	गीताबेन कानभाई, बहादुरसिंह कानभाई, भूपतभाई कानभाई 161 (Old S.No. 121)
कुल योग				0.1263	

[फा. सं. NHAI/Bharatmala/Expressway/Ahmedabad-Dholera/2018/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2026

**S.O. 1511(E).**— Where as by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. **S.O. 633(E), Dated: 06/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH - 751 in the stretch of land from K.m. 0.00 to K.m. 109.019 in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya Bhaskar” and “Times of India” both dated: 19/02/2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objection under Section 3-C, from any person;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-751 in the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 109.019 in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT**

State: GUJARAT			District: AHMEDABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Dholka</b>					
<b>Village: Vejalka</b>					
1	161 (Old S. No. 121)	Private	Agriculture	0.1263	Geetaben Kanbhai, Bahadursinh Kanbhai, Bhupatbhai Kanbhai 161 (Old S.No. 121)
<b>Total</b>				<b>0.1263</b>	

[F. No. NHAI/Bharatmala/Expressway/Ahmedabad-Dholera/2018/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director